Himachal Pradesh
Board of School Education
Dharamshala, Himachal Pradesh

क्रमांक: हि०शि०बो०(33) राज्य मुक्त विद्यालय प्रशासन/13448-13748 दिनांक:-21-11-2018

"अधिसूचना"

माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा बोर्ड अधिनियम की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हि0 प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय के अन्तर्गत श्रेणी सुधार की परीक्षा के लिए बनाए गए नियमों को छात्र हित में लचीला (Flexible) बनाने हेतु निम्न प्रकार से निर्णय लिया है:-

1. केवल ऐसे परीक्षार्थी हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के अन्तर्गत श्रेणी सुधार की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते है,जिन्होने केवल हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड/हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय से दसवीं अथवा बाहरवीं कक्षा की परीक्षा उतीर्ण की हो।
2. श्रेणी सुधार की परीक्षा केवल उन्ही विषयों में ली जाएगी जो कि वर्तमान में हि0 प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय(SOS) की परीक्षा प्रणाली में प्रचलित/उपलब्ध है।
3. श्रेणी सुधार की परीक्षा वर्तमान समय में चल रहे Passing criteria और Syllabus के अनुसार ही होगी।
4. श्रेणी सुधार की परीक्षा केवल उन्ही विषयों में ली जाएगी जोकि वर्तमान में हि0 प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय की परीक्षा में प्रचलित/उपलब्ध है।
5. श्रेर्णी सुधार की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को आवेदन के समय/बाद में अपना पुराना मूल-प्रमाण पत्र बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना होगा। परीक्षा में सफल होने की स्थिति में छात्र द्वारा पुराना मूल-प्रमाण पत्र जमा करवाने के पश्चात् ही नया प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
6. ऐसे छात्र जोकि श्रेणी सुधार की परीक्षा के लिए आवेदन करते है उन्हें कार्यालय द्वारा नया नामांकन/अनुक्रमांक नम्बर जारी किया जाएगा, और आंबटित नामांकन/अनुक्रमांक नम्बर केवल एक ही सत्र के लिए मान्य होगा।
7. श्रेणी सुधार की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् यदि छात्र के अंको में बढौतरी होती है तो नया मूल-प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा अन्यथा पुराना मूल-प्रमाण पत्र जोकि छात्र द्वारा जमा करवाया गया है, उसे कार्यालय द्वारा वापिस कर दिया जाएगा।
8. यदि श्रेणी सुधार की परीक्षा में किसी एक विषय में अकों की बढौतरी होती है और दूसरे विषय में अंक कम हो जाते है तथा कुल अंको के योग में कोई बढौतरी नही होती है तो परीक्षा परिणाम **P.R.S. (Previous Result Stand)** ही दर्शाया जाएगा।
9. प्रैक्टिकल से सम्बन्धित विषय में श्रेणी सुधार की परीक्षा के लिए Theory विषय के साथ साथ Practical विषय की परीक्षा देना भी अनिवार्य है। इसके लिए कुल शुल्क के साथ 100/- रू0 प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क (प्रति विषय) के हिसाब से अतिरिक्त जमा करवाना होगा।
10. ऐसे छात्र जोकि श्रेर्णी सुधार की परीक्षा में प्राप्त अंको से संतुष्ट नही है, वह अगले सत्र के लिए पुनः श्रेणी सुधार की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते है जिसके लिए उन्हें सारे शुल्क (पंजीकरण/नामांकन/प्रैक्टिकल शुल्क और परीक्षा शुल्क) पुनः नए सिरे से जमा करवाने होगें, तथा इस परीक्षा के लिए अधिकतम तीन अवसर प्रदान किए जाएगें।
11. हि0 प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के अंतगर्त श्रेणी सुधार की परीक्षा के लिऐ आवेदन करने हेतु शुल्क निम्न प्रकार से प्रस्तावित है:-

1	पंजीकरण शुल्क	1000/-
2	परीक्षा शुल्क (एक या अधिक विषय)	1500/-
3	प्रैक्टिकल शुल्क (यदि है)	100/- प्रति विषय
4	कुल शुल्क	2600/-

12 हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के अन्तर्गत एक या अधिक विषयों में श्रेणी सुधार की परीक्षा के लिए ऐसे परीक्षार्थी भी पात्र होंगे जिन्होने मार्च, 2002 या इसके पश्चात हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं या बाहरवीं कक्षा की परीक्षा नियमित/निजी तौर पर अथवा हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अन्तर्गत उतीर्ण की हो।

13 ऐसे परीक्षार्थी जिन्होनें मार्च, 2001 या इससे पूर्व दसवीं अथवा बाहरवीं कक्षा की परीक्षा नियमित/ निजी तौर पर हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड से उतीर्ण की हैं, और ऐसे परीक्षार्थी हि0 प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के तहत श्रेणी सुधार की परीक्षा देना चाहते हैं, तो उन्हें पूर्ण विषयों में परीक्षा देनी होगी। ऐसे परीक्षार्थियों को भी इस परीक्षा के लिए अधिकतम तीन अवसर प्रदान किए जाएगें।

14 श्रेणी सुधार की परीक्षा के लिए केवल बोर्ड कार्यालय द्वारा हि0प्र0 में स्थापित हि0 प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से ही आवेदन किया जा सकेगा जो कि पूर्णतया online प्रकिया से होगा।

उक्त दर्शाए नियमों का समावेश राज्य मुक्त विद्यालय(SOS) की परीक्षा नियमावली के विनियम 4.18 के स्थान पर होगा।

सचिव

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि।

दिनांकः21.11.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव,माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमलाा।
2. निजी सचिव,माननीय शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
4. निजी सचिव, सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
5. अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक/संयुक्त सचिव हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
6. समस्त उप-सचिव/सहायक सचिव हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
7. अनुभाग अधिकारी सामान्य शाखा हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को उपरोक्त अधिसूचना को अगामी बौर्ड की बैठक में सम्मिलित करने हेतु।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
9. लोक सम्पर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।

—हस्ता०—

सचिव